तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सी.एस. कच्छवाहा बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 106/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-06-2022	अपीलार्थी सी.एस. कच्छावाह, पता 09, भगतसिंह मार्ग, नागोरीगेट के बाहर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.03.2022 में (1) ग्राम मण्डोर–1 में सम्वत् 2035–38 खाता संख्या 85 पट्टा सं0 181/92 के अनुसार खातेदार गुलाबसिंह गहलोत पुत्र चतुरभुज गहलोत निवासी जोधपुर के नाम खसरा 1749 रकबा 30.14 बीघा, खसरा 1749/4 रकबा 4.10 बीघा, 1749/5 रकबा 12.05 बीघा, 1749/6 रकबा 24.0 कुल जमीन 143.05 बीघा के नाम थी। उक्त जमीन को किस आदेश के तहत राज सरकार के किस कारण हेतु अधिग्रहण कर अन्य सरकारी विभाग, अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण की गई, विवरण की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 650 दिनांक 20.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी सी.एस. कच्छवाह को इस कार्यालय के पत्र कमांक 347 दिनांक 28.03.22 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में अधिग्रहण की गई जमीन का विवरण यथा पटवार हलका, ग्राम व किस विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की गई है का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके अभाव में सूचना उालब्ध कराया जाना सभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक 347 दिनांक 28.03.2022 के जरिये वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः अपीलार्थी चाही गई सूचना की विशिष्टियां प्रस्तुत करनी थी लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:16:06 IST
Reason: SelfAttested